

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं०-38 / 2026
आदेश

10.04.2026

जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया। आवेदक अभियुक्त अभिषेक पाण्डेय उर्फ अभि पाण्डेय की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता सुश्री सौम्या शिवानी उपस्थित हुए तथा अभियोजन की ओर से श्री श्रीधन कुमार तिवारी उपस्थित हुए।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वे आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन को संचालित नहीं करना चाहते हैं।

अभियोजन ने इसका विरोध नहीं किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। चूंकि आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता इस जमानत आवेदन को संचालित नहीं करना चाहते हैं तथा उन्होंने इस आशय का पृष्ठांकन जमानत आवेदन पर भी किया है।

अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित नहीं करने के कारण इस जमानत आवेदन को **निस्तारित** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।